दिनांक 17.11.2012 को उपायुक्त, चतरा की अध्यक्षता में आपूर्ति विभाग की हुई समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही –

उपस्थिति – पंजी में संधारित

कार्यवाही

खाद्यान्न का मदवार समीक्षा की गई । समीक्षा के कम में माह नवम्बर 2012 का खाद्यान्न ईटखोरी 40 प्रतिशत, गिद्धौर 50 प्रतिशत, टण्डवा 23 प्रतिशत का उठाव किया गया है । शेष प्रखण्डों में इस माह का उठाव शून्य है । इस संबंध में सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक तथा सहायक गोदाम प्रबंधक को निदेश दिया गया कि पूर्व वर्ष की भांति चालू माह में 25 वीं तारीख तक सभी मदों के खाद्यान्न का उठाव कराते हुए लाभुकों के बीच वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे । इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाशत नहीं किया जायेगा । खाद्यान्न का विलम्ब से उठाव कराये जाने से जन वितरण प्रणाली के विकेताओं तथा बिचौलियों के तालमेल से खाद्यान्न के हेरा फेरी की संभावना रहती है (अनुपालन सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक/सहायक गोदाम प्रबंधक, चतरा जिला)।

2. किरासन तेल की समीक्षा के कम में पाया गया कि ठेला भेण्डरों के द्वारा वितरण किये जाने वाले किरोसिन का जॉच प्रतिवेदन आपूर्ति निरीक्षकों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है । इस संबंध में सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक को साप्ताहिक बैठक में बी0पी0एल0 अन्त्योदय के विहित प्रपत्र के अनुसार ही जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया (अनुपालन सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, चतरा जिला)।

3. समीक्षा के कम में यह बात प्रकाश में आई कि गोदाम से उठाव किये जाने वाले खाद्यान्न की सूचना कतिपय प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया जाता है । फलस्वरूप प्रखण्ड नोटिस बोर्ड पर चिपकाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है । पूर्व में इस संबंध में निदेश दिया गया है जिसका अक्षरशः अनुपालन किया जाए (अनुपालन सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, चतरा जिला)।

4. खाद्यान्न योजना के मदवार लाभुकों का नाम दिवार लेखन कर अंकित करवाने का निदेश पूर्व में अनेकोबार दिया जा चुका है । परन्तु टण्डवा प्रखण्ड को छोड़कर शेष प्रखण्डों में यह कार्य 40 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ है जो आपकी कार्यों के प्रति लापरवाही का द्योतक है । (अनुपालन सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, चतरा जिला)।

5. समीक्षात्मक बैठक में यह पाया गया कि मुख्यमंत्री दाल–भात योजना अन्तर्गत सिमरिया प्रखण्ड स्थित केन्द्रों का संचालन नियत स्थान पर नहीं किया जा रहा है । प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सिमरिया को निदेश दिया जाता है कि पूर्व से सिमरिया बाजार अथवा प्रखण्ड कार्यालय परिसर के पास

इसका संचालन कराना सुनिश्चित किया जाय । इस संबंध में निदेश दिया जाता है कि उपलब्ध कराये गए प्रपत्र में प्रत्येक सप्ताह प्रतिवेदन लाना तथा नियत स्थान पर ही केन्द्र का संचालन कराना सुनिश्चित करें (अनुपालन सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, चतरा जिला)।

6. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चतरा एवं चतरा प्रखण्ड के पंचायत प्रतिनिधियों से शिकायत प्राप्त होती है कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक पंचायत समिति की बैठक में सूचना के बाद भी भाग नहीं लेते हैं । निदेश दिया जाता है कि संबंधित आपूर्ति निरीक्षक पंचायत समिति की बैठक में निश्चित रूप से भाग लेना सुनिश्चित करेंगे (अनुपालन सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, चतरा जिला)।

7. अन्नपूर्णा योजना अन्तर्गत खाद्यान्न का वितरण प्रखण्ड कार्यालय द्वारा किया जाता है । समीक्षा के कम में निर्णय लिया गया कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक अपने प्रखण्ड अन्तर्गत अन्नपूर्णा पंजी की जॉच करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि लाभुकों को नियमानुसार अनाज की आपूर्ति विहित पहचान पर किया जाय (अनुपालन सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, चतरा जिला)।

8. आपूर्ति संबंधी समीक्षात्मक बैठक अधोहस्ताक्षरी के द्वारा करने से पूर्व जिला आपूर्ति पदाधिकारी बैठक करते हुए प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक से प्राप्त वितरण प्रतिवेदन का मिलान जिला सतर पर संकलित बुकलेट से करना सुनिश्चित करेंगे ताकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा किये जाने वाले समीक्षात्मक बैठक में इसकी त्वरित समीक्षा की जा सके । (अनुपालन सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/निरीक्षक, चतरा जिला)।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

उपायुक्त,
चतरा ।

ज्ञापांक 490/आ0 दिनांक 22.11.12

प्रतिलिपिः– सरकार के सचिव, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड रांची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – अनुमण्डल पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि – सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकरी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक/सहायक गोदाम प्रबंधक, चतरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि – जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, चतरा को सूचनार्थ प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि कार्यवाही की प्रति चतरा जिले के वेबसाईट पर प्रकाशित करेंगे ।

उपायुक्त,
चतरा ।